राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन :

भारत INDIA कोर्ट फीस Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES

Examined

डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन-पत्र

(आदेश 21 का नियम 11)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान, टोडाभीम

मैं वादीगण डिक्रीदार, इसके द्वारा नीचे दी गई डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन करता हूं :-

वाद की संख्याक	पक्षकारों के नाम	डिक्री की तारीख	क्या डिक्री की कोई अपील की गई है	यदि कोई संदाय या समायोजन किया गया है तो वह संदाय या समायोजन	यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	डिक्री की रकम उस पर शोध्य ब्याज के सहित या एतद्द्वारा अनुदत्त अन्य अनुतोष प्रति डिक्री की विशिष्टियों के सहित	यदि खर्चों मद्धे कोई रकम अधिनिर्णीत की गई है तो वह रकम	किसके विरुद्ध निष्पादन किया जाए	वह ढंग जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	गीतेश पुत्र चन्दर, हेमलता पुत्री चन्दर पत्नी दामोदर जाति बैरवा नि० मनकपुरा ता० टोडाभीम जि० करौली डिक्रीदार/वादीगण बनाम 1 कैलाशचन्द पुत्र रम्मूं, विनोद, देवराज, कमचन्द पुत्रगण शिवलाल, प्रेम पुत्री शिवलाल पत्नी नारायण, मौजी देवी बेवा शिवलाल समस्त जाति बैरवा निवासी मनकपुरा ता० टोडाभीम, B.R.K.G.B. महन्दीपुर बालाजी, तहसीलदार (भू-अभिलेख) टोडाभीम जि० करौली	21/8/2025	नहीं	नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	तहसीलदार टोडाभीम को प्रतिवादीगण	श्रीमानजी

तारीख 11/11/2025

हस्ताक्षर ....

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. गीतेश पुत्र चन्दर उम्र 31 वर्ष
2. हेमलता पुत्री चन्दर पत्नि दामोदर उम्र 33 साल

जाति बैरवा निवासी भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0)

वादीगण

वनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र रम्भू उम्र 55 वर्ष
2. विनोद उम्र 45 वर्ष
3. देवराज उम्र 43 वर्ष — पिस0 शिवलाल
4. खेमचन्द उम्र 41 वर्ष
5. प्रभूदयाल उम्र 39 वर्ष
6. प्रेम पुत्री शिवलाल पत्नि नारायण उम्र 42 वर्ष
7. मांगी देवी बेवा शिवलाल उम्र 62 वर्ष
   समस्त जाति बैरवा निवासी भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0)
8. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0)
9. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 77 / 2024

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम मेहन्दीपुर के आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 82 ऐयर, 161 रकबा 06 ऐयर, 162 रकबा 53 ऐयर कुल किता 03 रकबा 1.41 हैक्टेयर स्थित ग्राम भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली में दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिघादी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

नम्बर 01 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 06 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 07 के पति शिवलाल हिस्सा 1/2 को हजफ करते हुये उनके स्थान उर उक्त आराजी में वादीगण हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 01 हिस्सा 1/3 और प्रतिवादी नम्बर 02 ता 07 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा रहन यथावत रहेगा।

निज......................मुबलिंग.............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21/08/25 को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

399
12/9/25
15/9/25
15/9/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

मु.नं.:– 77 / 2024 तारीख रजू :– 26.06.2024

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

1. गीतेश पुत्र चन्दर उम्र 31 वर्ष
2. हेमलता पुत्री चन्दर पत्नि दामोदर उम्र 33 साल

जाति बैरवा निवासी भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0)

वादीगण

वनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र रम्भू उम्र 55 वर्ष
2. विनोद उम्र 45 वर्ष
3. देवराज उम्र 43 वर्ष पिस0 शिवलाल
4. खेमचन्द उम्र 41 वर्ष
5. प्रभूदयाल उम्र 39 वर्ष
6. प्रेम पुत्री शिवलाल पत्नि नारायण उम्र 42 वर्ष
7. मांगी देवी बेवा शिवलाल उम्र 62 वर्ष
   समस्त जाति बैरवा निवासी भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0)
8. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0)
9. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट वादीगण

2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक :– 21/08/25

दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 82 ऐयर, 161 रकबा 06 ऐयर, 162 रकबा 53 ऐयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर स्थित ग्राम भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली में है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 06 के बाबा व प्रतिवादी नम्बर 07 के ससुर तथा प्रतिवादी नम्बर 01 के पिता रम्भू की खातेदारी की आराजीयात है-जो

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

जमाबंदी खतौनी संवत 2035–2038 में दर्ज है। बुजुर्ग रंम्भू की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तकरण वादीगण के पिता चन्दर व प्रतिवादी नम्बर 07 क पति शिवलाल के नाम खोला गया जो आधार वर्ष संवत 2052 तक लगातार खातेदारी चली आ रही थी। इस प्रकार उक्त आराजीयात पैत्रिक आराजीयात है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना साबित है।

कि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 01 ता 07 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान इस प्रकार है:–

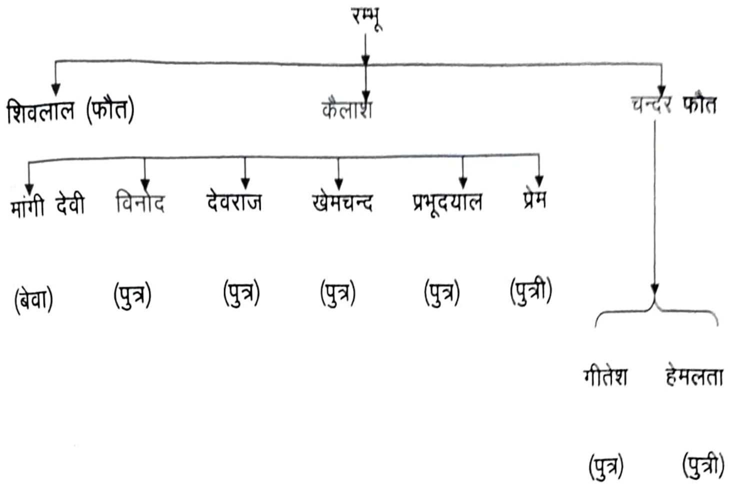

आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 01 ता 07 की पैत्रिक आराजीयात है जो बुजुर्ग रंम्भू से विरासत में प्राप्त हुई है। लेकिन वादीगण के पिता चन्दर की मृत्यु के पश्चात दौराने सैटिलमेन्ट प्रतिवादी नम्बर 01 ने प्रतिवादी नम्बर 02 ता 06 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 07 के पति शिवलाल द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादीगण के पिता चन्दर का नाम हजफ करवा कर स्वयं अपने नाम प्रतिवादी नम्बर 01 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 06 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 07 के पति शिवलाल हिस्सा 1/2 करवा दिया गया जिसका प्रतिवादीगण एवं राजस्व कर्मचारियों को वादीगण के पिता के नाम की खातेदारी को हजफ करने का कोई अधिकर नही था, जबकि उक्त आराजीयात में वादीगण 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और वादीगण आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र के 1/3 हिस्से खातेदारी कराने के अधिकारी है और वादीगण द्वारा अपने 1/3 हिस्से में गत वर्ष सरसों व गेंहू की फसल काश्त की, जिसे वादीगण द्वारा ही काटा गया था। उक्त वादीगण के 1/3 हिस्से से अन्य किसी का कोई सम्बंध किसी प्रकार से नही है।

घटना दिनांक 20/06/2024 की है कि वादीगण अपने हिस्से की आराजी की शूल–बबूलो की साफ– सफाई करवा कर थे कि अचानक मौके पर प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 आये और वादी नम्बर 01 से बोले कि इस जमीन की खातेदारी में से हमने तुम्हारे पिता चन्दर की मृत्यू के पश्चात राजस्व कर्मचारियों से मिलकर के सैटिलमेन्ट के दौरान हमने अपने नाम 1/2, 1/2 हिस्सा करवा ली है। इस

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

जमीन में अब तुम्हारे नाम खातेदारी नही है और अब तक तुम्हे हमने काश्त करने दिया है इसलिये तुम्हारे हिस्से की जमीन को तुम्हे छोडना पडेगा, क्योंकि इस जमीन की तो खातेदारी है, तो वादी नम्बर 01 ने कहा कि इस जमीन की तो खातेदारी मेरे पिता चन्दर के नाम से शुरू से है और यह जमीन बाबा रम्भू से विरासत में हम सभी को मिली है, जिसमें मेरा भी 1/3 हिस्सा है। जिस पर प्रतिवादी नम्बर 01 बोला कि इस जमीन में पहले तुम्हारे पिता का नाम था, लेकिन तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने भाई शिवलाल के साथ राजस्व कर्मचारियों से लिकर तुम्हारे नाम नामान्तकरण नही खुलने दिया और सम्पूर्ण जमीन की खातेदारी मैंने व शिवलाल ने 1/2, 1/2 अपने नाम चुपचाप करवाली है, जिस पर वादी नम्बर 01 ने हाथ जाडते हुये कहा कि मेरे साथ ऐसा अन्यायल मत करों और तहसील टोडाभीम में चलकर 1/3 हिस्से की खातेदारी हम दोनो भाई–बहनों के नाम करवादो, लेकिन प्रतिवादीगण ने खातेदारी कराने से साफ इंकार कर दिया और वादीगण को अपने 1/3 हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी। वादीगण ने गांव के पंच–पटलो के द्वारा प्रतिवादीगण को समझवाया लेकिन प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हुये, जिस पर वादीगण ने तहसीलदार टोडाभीम के यहां दिनांक 21.06.2024 को दस्तावेज लेकर सैटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गयी गलती को दरूस्त करवाने व वादीगण के नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी करने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार टोडाभीम द्वारा समस्त दस्तावेज देखने पर दस्तावेज को सही मानते हुये ही खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादीगण का सक्षम न्यायालय में घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है

दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषण की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 82 ऐयर, 161 रकबा 06 ऐयर, 162 रकबा 53 ऐयर कुल किता 03 रकबा 1.41 हैक्टेयर स्थित ग्राम भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली मं दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी नम्बर 01 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 06 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 07 के पति शिवलाल हिस्सा 1/2 को हजफ करते हुये उनके स्थान उर उक्त आराजी में वादीगण हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 01 हिस्सा 1/3 और प्रतिवादी नम्बर 02 ता 07 हिस्सा 1/3 के खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रहन के इन्द्राज को प्रतिवादी नम्बर 01 के हिस्से तक रहन रखा जावे और इस अमल का समस्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण बबात स्थायी निशधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 82 ऐयर, 161 रकबा 06 ऐयर, 162 रकबा 53 ऐयर कुल किता 03 करबा 1.41 हैक्टेयर स्थित ग्राम भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली में वादीगण के 1/3 हिस्से से ना तो स्वयं बेदखल करें, ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण के कब्जे काश्त में नाम तो स्वयं मजाहमत मदाखलत पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण को अपने 1/3 हिस्से को शांतिपूर्वक काश्त करने देंवे। भूमि कृषि को अकृषि में परिवर्तित नही करें, निर्माण नही करें। ऐसा कोई कार्य नही करें जिससे वादीगण व वादीगण की भूमि पर विपरित प्रभाव पडता हो, रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावथ बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उपजिला मजिस्ट्रेट
टोडाभीम, जिला करौली

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधिवक्ता ने जबाव अंकित किया है कि वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 2 ता 6 के बाबा व प्रतिवादी नम्बर 7 के ससुर व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता रम्भू की खातेदारी की आराजीयात हेना एवं रम्भू की मृत्यु के पश्चात उक आराजीयात का नामान्तकरण वादीगण के पिता चन्द व प्रतिविदी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 6 के पिता व 7 के पति शिवलाल के नाम खोला जाना और उक्त आराजी पैत्रिक होना तथा जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार काबिज होना स्वीकार है। वाद पत्र के मद नम्बर 4 स्वीकार है क्योंकि सैटिलमेन्ट द्वारा उक्त आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वाद पत्र के वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 2 ता 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था लेकिन सैटिलमेन्ट द्वारा उक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी 2ता 7 का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीगण अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वाद पत्र में वादीगण का 1/3 हिस्से पर कब्जा है और प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी वादीगण के 1/3 हिस्से की खातेदारी करवाने से मना नहीं किया।

भूमि खसरा नम्बर 107 रकवा 82 ऐयर, 161 रकवा 6 ऐयर, 162 रकवा 53 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 स्थित ग्राम भनकपुरा में प्रतिवादी नम्बर 1 हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 2 ता 7 हिस्सा 1/2 को हजफ करते हुए उनके स्थान पर उक्त भूमि में वादीगण 1/3 हिस्से के प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 7 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे तथा रहन के इन्द्राज को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम रखा जावे और समस्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 82 ऐयर, 161 रकवा 6 ऐयर, 162 रकवा 53 ऐयर कुल किता 3 कुल करवा 1.41 है0 स्थित ग्राम भनकपुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली का प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 ता 7 का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण के 1/3 हिस्से का मुताबिक कब्जा व मुताबिक हिस्सा बॅटवारा स्कीम तलब कर बाद जॉच बॅटवारा रिपोर्ट फाईनल डिक्री किया जावें।

प्रतिवादी वकील पक्षकारान की ओर से जबाव प्राप्त के पश्चात् पत्रावली में तनकीयात निम्नप्रकार कायम की गई।

1. आया यह है कि आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 0.82 है0, 161 रकवा 0.06 है0, 162 रकवा 0.53 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 ग्राम भनकपुरा में स्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वादी 1/3 की खातेदारी कराने का हकदार है।

(जिम्मे वादी)

2. आया यह है कि आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 0.82 है0, 161 रकवा 0.06 है0, 162 रकवा 0.53 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण के 1/3 हिस्से का बंटवारा कराने का हकदार है।

(जिम्मे वादी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उपजिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

वकील पक्षकारान ने तनकीयात का अवलोकन किया अपनी सहमति जाहिर की। तनकीयात स्पष्ट की जाती है। वादीगण नं0 1 ने दिनांक 28.04.2025 को शपथ पत्र पेश किया एवं साक्ष्य हेतु राधेश्याम, परभाती लाल, कन्हैयालाल, ओमप्रकाश आदि के गवाह के रूप में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार–बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण नं0 1 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। मैने वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण वकील द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये कहा कि आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 82 ऐयर, 161 रकबा 06 ऐयर, 162 रकबा 53 ऐयर कुल किता 03 रकबा 1.41 हैक्टेयर स्थित ग्राम भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली में दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी नम्बर 01 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 06 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 07 के पति शिवलाल हिस्सा 1/2 को हजफ करते हुये उनके स्थान उर उक्त आराजी में वादीगण हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 01 हिस्सा 1/3 और प्रतिवादी नम्बर 02 ता 07 हिस्सा 1/3 के खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रहन के इन्द्राज को प्रतिवादी नम्बर 01 के हिस्से तक रहन रखा जावे।

आदेश

अतः ग्राम मेहन्दीपुर के आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 82 ऐयर, 161 रकबा 06 ऐयर, 162 रकबा 53 ऐयर कुल किता 03 रकबा 1.41 हैक्टेयर स्थित ग्राम भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली में दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी नम्बर 01 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 06 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 07 के पति शिवलाल हिस्सा 1/2 को हजफ करते हुये उनके स्थान उर उक्त आराजी में वादीगण हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 01 हिस्सा 1/3 और प्रतिवादी नम्बर 02 ता 07 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय दिनांक 21/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

399

12/9/25
15/9/25
15/9/25